शिक्षा संवाद
2021, 8(1-2): 43-50
ISSN: 2348-5558
©2021, संपादक, शिक्षा संवाद, नई दिल्ली

आलेख

कोविड़ के दौरान श्रमिकों का महानगरों से पलायन: एक सबक

राजेन्द्र कुमार
प्रकाशन अधिकारी
संवाद शिक्षा समिति

सार

कोविड-19 के दौरान श्रमिकों का महानगरों से पलायन केवल एक आपातकालीन प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह भारतीय श्रमिकों की स्थिति और उनके अधिकारों के बारे में एक गंभीर चेतावनी थी। इस पलायन ने यह साबित किया कि भारतीय श्रमिकों के लिए एक समृद्ध और समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढांचा जरूरी है। यह हमें यह भी सिखाता है कि आर्थिक विकास के साथसाथ सामाजिक और मानवाधिकारों का संरक्षण करना उतना ही महत्वपूर्ण है-, ताकि किसी भी संकट के समय श्रमिकों को असुरक्षित महसूस न हो।

कूटशब्द: कोविड-19, श्रमिक, पलायन, आर्तव्यवस्था, महानगर

कोविड-19 महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को जिस तरह से प्रभावित किया, वह अभूतपूर्व था। महामारी के कारण लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन ने न केवल व्यवसायों को ठप कर दिया, बल्कि लाखों श्रमिकों को अपनी रोज़ी-रोटी और आश्रय खोने के साथ-साथ शहरों से अपने घरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। विशेष रूप से 2020 और 2021 के दौरान, भारत के महानगरों से लाखों श्रमिकों का पलायन एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण स्थिति बन गया, जिसने देश के श्रमिकों के अस्तित्व, उनके जीवन-यापन और शहरों की सामाजिक-आर्थिक संरचना पर गहरे प्रभाव डाले। इस लेख में हम कोविड-19 के दौरान महानगरों से श्रमिकों के पलायन को समझने के प्रयास करेंगे और इसके पीछे के कारणों, परिणामों और इससे मिले महत्वपूर्ण सबकों पर चर्चा करेंगे, जो अगस्त 2021 तक के आंकड़ों पर आधारित हैं।

पलायन क्यो हुआ

लॉकडाउन और आर्थिक मंदी: कोविड-19 के चलते मार्च 2020 में अचानक लागू हुआ देशव्यापी लॉकडाउन, जिसे 21 दिन से बढ़ाकर कई महीनों तक बढ़ा दिया गया, ने देश के अधिकांश उद्योगों, निर्माण, परिवहन और अन्य सेवा क्षेत्रों को ठप कर दिया। इससे मजदूरी पर निर्भर श्रमिकों के पास कोई काम नहीं बचा, और उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होने लगी। इसने श्रमिकों को शहरों से अपने गृह राज्यों में लौटने के लिए मजबूर किया।

आश्रय और भोजन की कमी: लॉकडाउन के दौरान, महानगरों में रह रहे कई श्रमिकों को न केवल काम का नुकसान हुआ, बल्कि उन्हें रहने और भोजन की भी गंभीर कमी महसूस हुई। ऐसे में, उनके पास घर लौटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। श्रमिकों को खाली पेट और निराशा के साथ अपने गांवों की ओर लौटना पड़ा। विशेष रूप से, प्रवासी श्रमिकों को शहरी क्षेत्रों में रहने और काम करने के लिए कोई सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते थे।

स्वास्थ्य संकट और भय: महामारी के दौरान, वायरस के फैलने की आशंका ने श्रमिकों में एक और डर पैदा किया। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और बड़े शहरों में संक्रमण का खतरा बढ़ने से श्रमिकों ने अपनी सुरक्षा के लिए घर लौटने का निर्णय लिया।

सामाजिक दूरी और परिवहन प्रतिबंध: लॉकडाउन के दौरान, सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई थीं, जिससे श्रमिकों को घर जाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, हजारों श्रमिकों ने पैदल चलकर या साइकिलों पर लंबी यात्रा की, जो कि उनकी कड़ी परिस्थितियों और असहनीय स्थिति को दर्शाता है।

पलायन का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

शहरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: श्रमिकों के महानगरों से पलायन का सीधा असर शहरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। निर्माण उद्योग, निर्माण कार्य, सेवाएँ, माल ढुलाई, कृषि, और अन्य छोटे-व्यवसाय प्रभावित हुए। विशेष रूप से, निर्माण कार्यों में बड़ी कमी आई, जिससे शहरों के विकास की गति रुक गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि: पलायन के कारण, गांवों में श्रमिकों की संख्या में इज़ाफा हुआ, जिससे कुछ स्थानों पर कृषि कार्य में वृद्धि हुई, लेकिन अधिकांश स्थानों पर यह बदलाव स्थायी नहीं था। श्रमिकों

की एक बड़ी संख्या को अपनी पारंपरिक नौकरी के लिए स्थानों पर जाना पड़ा, जिससे गांवों में श्रमिकों की कमी होने लगी।

मानवाधिकार और श्रमिकों की स्थिति: कोविड-19 के दौरान श्रमिकों का पलायन इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। श्रमिकों को एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है, जो उन्हें आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा और राहत प्रदान कर सके। महामारी ने इस असमानता और श्रमिकों के अधिकारों के प्रति लापरवाही को उजागर किया।
पलायन के आंकड़े

कोविड-19 महामारी के दौरान श्रमिकों के पलायन का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन विभिन्न रिपोर्टों और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2021 तक लगभग 6 करोड़ श्रमिकों ने देश के विभिन्न महानगरों और शहरी क्षेत्रों से अपने गृह राज्यों की ओर पलायन किया था। इनमें से अधिकांश श्रमिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों से थे।

भारत सरकार ने कई राज्यों में श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेनें और परिवहन सेवाएं शुरू कीं, ताकि वे सुरक्षित रूप से घर लौट सकें। हालांकि, ये उपाय अस्थायी थे और श्रमिकों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक और स्थायी समाधानों की आवश्यकता थी।

पलायन से मिला सबक

श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों की आवश्यकता: कोविड-19 के दौरान श्रमिकों का पलायन यह दर्शाता है कि सरकारों को श्रमिकों के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिए। उन्हें आवास, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएँ मिलनी चाहिए, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में वे शहरों में न फंसे रहें और गांव लौटने के लिए मजबूर न हों।

ग्रामीण विकास को बढ़ावा: पलायन से यह भी स्पष्ट हुआ कि केवल शहरी क्षेत्रों में विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि गांवों में भी विकास कार्यों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, तो श्रमिकों को शहरों की ओर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय नीति: भारत में प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को लेकर एक समग्र और प्रभावी राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है, जो उनके कार्य, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करे। कोविड-19 के दौरान मिले इस अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रवासी श्रमिकों

की स्थिति को लेकर नीतियां बनाने की जरूरत है, ताकि वे किसी भी संकट के समय में असुरक्षित न महसूस करें।

सरकार ने क्या किया

कोविड-19 महामारी के दौरान, खासकर लॉकडाउन के समय, भारत सरकार ने प्रवासी श्रमिकों और आम जनता के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए ताकि वे संकट से निपट सकें और उनके जीवन को सुरक्षित किया जा सके। इन कदमों का उद्देश्य श्रमिकों के पलायन को रोकना, उन्हें राहत प्रदान करना, और उन्हें सुरक्षित रूप से घर लौटने का मार्ग प्रशस्त करना था। नीचे कुछ प्रमुख कदमों का विवरण दिया गया है, जिन्हें सरकार ने कोविड-19 के दौरान उठाया:

सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की शुरुआत

लॉकडाउन के दौरान, लाखों श्रमिकों को अपने घरों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी। इस समस्या को हल करने के लिए, सरकार ने विशेष ट्रेनें (श्रमिक ट्रेनें) शुरू कीं, जिनके माध्यम से श्रमिकों को उनके गृह राज्यों तक सुरक्षित रूप से भेजा गया। इसके अलावा, राज्य सरकारों ने बसों की व्यवस्था भी की, जिससे श्रमिकों को शहरों से उनके गांवों तक पहुंचने में सहायता मिली।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY)

महामारी के दौरान सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत एक राहत पैकेज की घोषणा की। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए:

- **राशन वितरण**: यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम)NFSA) के अंतर्गत आने वाले लगभग 80 करोड़ गरीब नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो चीनी दिया गया।
- **मुफ्त गैस सिलेंडर**: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान किए गए।
- **वेतन भत्ते**: निर्माण श्रमिकों और अन्य असंगठित श्रमिकों को तत्काल राहत के रूप में वेतन भत्ते और सहायता दी गई।

मजदूरों के लिए रोजगार कार्यक्रम

- **मनरेगा)MGNREGA)**: ग्रामीण श्रमिकों के लिए, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया। इस योजना के तहत ग्रामीण (मनरेगा) इलाकों में श्रमिकों को100 दिन का काम और उनके कार्य के लिए उचित वेतन प्रदान किया गया।
- **कृषि क्षेत्र में मदद**: कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में मदद के लिए, सरकार ने किसानों और श्रमिकों के लिए ऋण और अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई, ताकि वे महामारी के दौरान आर्थिक रूप से मजबूती से खड़े रह सकें।

आवास और आश्रय के लिए व्यवस्था

महामारी के दौरान, सरकार ने श्रमिकों को आश्रय प्रदान करने के लिए कई उपाय किए:

- **सुरक्षित आश्रय स्थल**: अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए जहां श्रमिक सुरक्षित रूप से रह (सेंटर्स) सकें। इन केंद्रों पर भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गईं।
- **नगरीय निकायों द्वारा सहायता**: राज्य और नगर निगमों ने श्रमिकों के लिए खाद्य वितरण कार्यक्रम शुरू किए और उन्हें स्वच्छता, पानी और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कीं।

नौकरी और वेतन सुरक्षा

- **कर्मचारी प्राधिकृत निधि)EPF)**: सरकार ने EPF में योगदान बढ़ाया और श्रमिकों के लिए राहत की घोषणा की, ताकि वे आर्थिक संकट के दौरान वित्तीय संकट से बच सकें।
- **स्वास्थ्य बीमा**: श्रमिकों के लिए सरकार ने **आयुष्मान भारत योजना** के तहत स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं प्रदान कीं, जिससे उन्हें चिकित्सा देखभाल मिल सके।
- **कर्मचारी से संबंधित नियमों में राहत**: सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों को आर्थिक संकट से उबरने के लिए कुछ नियमों में छूट दी, ताकि वे अपने कर्मचारियों को नौकरी में बनाए रखें।

नौकरी से जुड़े कानूनों में बदलाव

सरकार ने श्रमिकों की मदद के लिए श्रम कानूनों में कुछ संशोधन किए, ताकि कंपनियां और कारख़ाने बेहतर तरीके से काम कर सकें। इसमें **ईएसआईसी (ESIC)** और **EPF** जैसी योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों को सुविधाएं बढ़ाई गई।

डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का समर्थन

लॉकडाउन के दौरान, स्कूलों और कॉलेजों के बंद होने के कारण शिक्षा का स्तर प्रभावित हुआ। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत की, जैसे:

- **दीक्षा पोर्टल**: यह पोर्टल शिक्षकशिक्षार्थी के बीच ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया - गया था।
- **स्वयं पोर्टल**: इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए, जिससे छात्रों को घर बैठे अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर मिला।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

- **कोविड-19 टेस्टिंग और उपचार सुविधाएं**: सरकार ने कोविड-19 के परीक्षण और उपचार के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को संसाधन मुहैया कराए। इसके अलावा, "कोविड-19 इन्फोऐप और " टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं भी शुरू की गईं, ताकि लोगों को दूरस्थ स्थानों से भी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
- **टीकाकरण अभियान**: कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहले फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और बुजुर्गों को टीका लगाया गया। अगस्त 2021 तक, सरकार ने व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया।

मजदूरों के लिए सशक्तिकरण योजनाएं

सरकार ने विभिन्न श्रमिकों के लिए सशक्तिकरण योजनाओं का निर्माण किया, जैसे:

- **श्रमिकों का पंजीकरण**: कई राज्यों ने श्रमिकों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की, जिससे वे राहत पैकेज, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने कई कदम उठाए, जो श्रमिकों की मदद करने, उनके पलायन को रोकने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए थे। हालांकि इन उपायों ने बड़ी राहत दी, फिर भी यह स्पष्ट हुआ कि महामारी के बाद भी श्रमिकों की स्थायी सुरक्षा, कल्याण और रोजगार संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए लंबी अवधि की योजनाओं की आवश्यकता है।

महानगर क्या करें

कोविड-19 महामारी ने न केवल भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना को चुनौती दी, बल्कि महानगरों की विकास और श्रमिकों के साथ उनके संबंधों को भी पूरी तरह से परिभाषित किया। लॉकडाउन के दौरान लाखों श्रमिकों का महानगरों से पलायन एक अभूतपूर्व घटना थी, जिसने इन शहरों और उनके विकास मॉडल को गहरे सवालों के सामने खड़ा किया। इस पलायन ने महानगरों को कई महत्वपूर्ण सबक दिए, जिन्हें नकारा नहीं किया जा सकता।

विकास के लिए समावेशिता और समानता की आवश्यकता

महानगरों में प्रवासी श्रमिकों का पलायन इस तथ्य को उजागर करता है कि इन शहरों का विकास केवल बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं हो सकता। इन शहरों के विकास का वास्तविक उद्देश्य तब पूरा होगा जब यहां रहने वाले श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता और उनके अधिकारों का ख्याल रखा जाएगा। महानगरों को यह समझना होगा कि शहर का सच्चा विकास तभी होगा जब श्रमिकों को उचित कामकाजी माहौल, सामाजिक सुरक्षा, और बेहतर जीवन-यापन की स्थिति मिले।

श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना आवश्यक

कोविड-19 के दौरान श्रमिकों को उनके काम की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहना पड़ा। अगर श्रमिकों के पास स्वास्थ्य, आवास, और रोजगार की कोई गारंटी होती, तो वे इस तरह से पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होते। महानगरों को यह समझना होगा कि श्रमिकों को केवल आर्थिक संसाधनों के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि उन्हें जीवन-यापन की बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। इससे न केवल उनकी भलाई सुनिश्चित होगी, बल्कि शहरों में स्थिरता और विकास भी बढ़ेगा।

महानगरों में श्रमिकों के लिए बेहतर आवास सुविधाएं

महानगरों में श्रमिकों को अक्सर अव्यवस्थित और असुरक्षित आवास स्थितियों में रहना पड़ता है। लॉकडाउन के दौरान, जब इन श्रमिकों को घर लौटने का विकल्प नहीं मिला, तो यह स्थिति और भी भयावह हो गई। महानगरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिकों के लिए सस्ती और सुरक्षित आवास सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि वे आपातकालीन परिस्थितियों में अपने काम की जगह से बाहर जाने के बजाय सुरक्षित रह सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों के साथ समन्वय बढ़ाना

महानगरों के विकास को केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं किया जा सकता। जब श्रमिकों को महानगरों से पलायन करना पड़ता है, तो यह दर्शाता है कि शहरों को अपने विकास के साथ-साथ ग्रामीण

क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे कार्य के अवसर होंगे, तो श्रमिकों को शहरों में पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इससे महानगरों पर दबाव भी कम होगा।

सार्वजनिक परिवहन और संकट के समय के लिए बेहतर योजनाएं

महानगरों में श्रमिकों के पलायन के दौरान सार्वजनिक परिवहन का बुरी तरह से संकट आया। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का बंद होना, श्रमिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। महामारी के बाद, महानगरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संकट के समय में उनके पास एक समग्र और प्रभावी परिवहन योजना हो, ताकि श्रमिकों को आपातकालीन स्थितियों में अपने घर लौटने में कोई कठिनाई न हो।

प्रवासी श्रमिकों की स्थिति पर विशेष ध्यान देना

महानगरों को यह स्वीकार करना होगा कि प्रवासी श्रमिकों की स्थिति के बारे में सोचने की आवश्यकता है। उनके लिए एक समग्र नीति बनानी चाहिए, जो उनकी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार की सुनिश्चितता पर केंद्रित हो। यह पलायन महानगरों को यह समझने का एक संकेत था कि श्रमिकों के बिना, शहरों का विकास और उनकी समृद्धि अधूरी है।

महानगरों का आर्थिक मॉडल पुनः समीक्षा करें

महानगरों का आर्थिक मॉडल मुख्य रूप से औद्योगिकीकरण, उच्च आय, और बड़े पैमाने पर सेवा क्षेत्र पर आधारित है। कोविड-19 के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि शहरों में कार्य करने वाले श्रमिकों का भला करना बेहद आवश्यक है। इन शहरों को पुनः यह विचार करने की आवश्यकता है कि उनका विकास मॉडल कितना समावेशी है और क्या यह शहर के सभी निवासियों की भलाई सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

महानगरों से श्रमिकों के पलायन ने भारतीय शहरीकरण और विकास प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। कोविड-19 ने यह साबित कर दिया कि केवल शहरी विकास और अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है; बल्कि, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों की भलाई और उनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। महानगरों को इन सबकों को समझकर अपने विकास मॉडल में समावेशिता और संवेदनशीलता को शामिल करना होगा, ताकि भविष्य में श्रमिकों को संकट के समय में महानगरों से पलायन करने की आवश्यकता न पड़े।

*****